

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

=====

समाचार भाग-2

§ विधायो तथा अन्य मामलो से संबंधित सामान्य जानकारी §

बुधवार, 03 जनवरी, 2001/पौष 13, 1922 § शक §

संख्या : 119

सदस्यों की नजरबन्दो एवं रिहाई

=====

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नसीब सिंह और श्री हरशरण सिंह बल्ली को 30.12.2000 को क्रमशः 1315 व 1325 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा -65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 30.12.2000 को क्रमशः 1400 व 1830 बजे रिहा कर दिया गया।"

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, 03rd January, 2001/Poush 13, 1922(Saka)

No.119

Detention And Release of Members

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner of Police, East Distt., Delhi.

" I have the honour to inform you that Shri Naseeb Singh and Shri Harsharan Singh Bali, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act.1978 for disobeying the lawful directions of Police at 1315 Hrs. and 1325 Hrs. respectively on 30.12.2000.

They were released at 1400 Hrs and 1830 Hrs. respectively from the same place on the same day i.e. 30.12.2000."

S.K.SHARMA
SECRETARY